



पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय Central University of Punjab

संसद के अधिनियम सं२५ . द्वारा स्थापित (२००९) / (Established vide an Act 25(2009) of Parliament)

बैठक शाखा - MEETINGS BRANCH

सन्दर्भ संख्या: सीयूपीबी/एमबी/2025/123

दिनांक: 26/11/2025

अधिसूचना

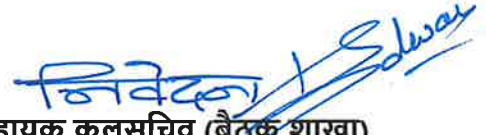
विषय: स्कूल बोर्ड, स्कूल ऑफ़ सोशल साइंसेज में आंशिक संशोधन।

सन्दर्भ:

1. CUPB/MB/SB/2024/33 दिनांक 09/05/2024:- स्कूल बोर्ड, स्कूल ऑफ़ सोशल साइंसेज के गठन के संबंध में अधिसूचना।
2. CUPB/Estt./2025/Order/332 दिनांक 22/08/2025:- डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा के साइकोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में अधिसूचना।

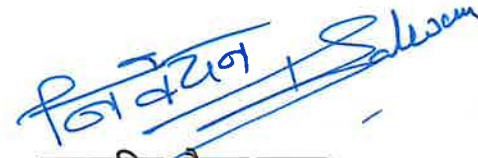
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, अध्यादेश-X [परिनियम 15(2-3)] और उपरोक्त अधिसूचना के संबंध में आंशिक संशोधन निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

क्रमांक संख्या	सदस्य का नाम	पदनाम /विभाग	टिप्पणियाँ
1.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, साइकोलॉजी विभाग, सीयूपीबी पंजाब	सदस्य खंड XI.1.4 के अंतर्गत समावेशन


सहायक कुलसचिव (बैठक शाखा)

प्रतिप्रेषित:

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति कार्यालय: माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. सम-कुलपति कार्यालय: सूचनार्थ हेतु।
3. कुलसचिव के निजी सहायक: कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ हेतु।
4. डीन प्रभारी अकादमिक: सूचनार्थ हेतु।
5. सभी संबंधित: सूचनार्थ हेतु।
6. कम्प्यूटर सेंटर: विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. संबंधित फ़ाइल।


सहायक कुलसचिव (बैठक शाखा)